राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक–लेखा/मुख्यालय/नकारा सामान/2017/ दिनांक

1 समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन राजस्थान।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–आपके कार्यालय के अधिशेष/ अप्रचलित/ अनुपयोगी सामान/ वाहनों के निस्तारण/नष्टीकरण एवं अवधिपार दवाईयां का निस्तारण बाबत्।

संदर्भः–निदेशक (जन स्वा.)मुख्यालय का पत्र क्रमांक 7382 दिनांक 03.10.2016

निदेशालय के संदर्भित पत्र द्वारा विभाग के चिकित्सालयों, डिस्पेन्सरीज एवं अन्य कार्यालयों के अनुपयोगी/सरप्लस सामान का निस्तारण पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण एवं अवधिपार दवाईयों के निस्तारण हेतु नवम्बर 1997 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ठ–6 के अनुरूप सम्पादित करने एवं निस्तारण एवं नष्टीकरण हेतु पूर्व में भी वित्त विभाग तथा निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार पालना करते हुए सम्पादित कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

अनुपयोगी/सरप्लस सामान पुराने वाहनों का निस्तारण, पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण एवं अवधिपार दवाईयों के निस्तारण के प्रकरणों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है तथा शीघ्राती–शीघ्र निस्तारण बाबत निर्देश प्रदान किये हैं। अतः उक्त प्रकरणों को माह जनवरी 2017 में अभियान् चलाकर शीघ्रातीशीघ्र निस्तारण कर संलग्न प्रपत्र में सूचना माह जनवरी के अन्त तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न–प्रपत्र (अ,ब,स,)

–sd–
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–लेखा/मुख्यालय/नकारा सामान/2017/ 8423 दिनांक 09.01.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सालयों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को संकलित कर दिशा निर्देश जारी करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि अधीनस्थ कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुए अनुपयोगी/रिकार्ड/सामान का निस्तारण शीघ्र करवाया जाकर निदेशालय को अवगत करवायें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

C:\Users\saini\Desktop\hq folder\Suresh Sharma\Letter.doc

प्रपत्र–क

कार्यालय जिनमें निस्तारण/नष्टीकरण की कार्यवाही हो चुकी है

दिनांक 31.12.2016 तक की स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	टेलीफोन नं	अनुपयोगी/सरप्लस सामान का निस्तारण	पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण	अवधि पार दवाईयों का निसतारण
1					

प्रपत्र–ख

कार्यालय जिनमें निस्तारण/नष्टीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

दिनांक 31.12.2016 तक की स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	टेलीफोन नं	अनुपयोगी/सरप्लस सामान का निस्तारण	पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण	अवधि पार ददाईयों का निसतारण
1					

प्रपत्र–ग

कार्यालय जिनमें निस्तारण/नष्टीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है

दिनांक 31.12.2016 तक की स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	टेलीफोन नं	अनुपयोगी/सरप्लस सामान का निस्तारण	पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण	अवधि पार दवाईयों का निसतारण
1					